

न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम, पटना सिटी

यातायात-70 / 22 (C.I.S-896 / 22)

Date	Cognizance Order	Remarks
15.12.22	वाद आज संज्ञान हेतु प्रस्तुत किया गया। अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा इस वाद में अभियुक्त-विरेन्द्र कुमार के विरुद्ध भा0द0वि0 की <u>धारा-279, 337, 338</u> के अंतर्गत आरोप-पत्र सं0-134 / 22 दिनांक-31.10.22 समर्पित करते कांड का अनुसंधान बंद किया गया है। विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख, अभिलेख पर उपलब्ध आरोप-पत्र एवं काण्ड दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि उपर्युक्त अभियुक्त-विरेन्द्र कुमार के विरुद्ध भा0द0वि0 की <u>धारा-279, 337, 338</u> के अंतर्गत प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्त-विरेन्द्र कुमार के विरुद्ध भा0द0वि0 की <u>धारा-279, 337, 338</u> के तहत दण्डनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया जाता है तथा वाद निष्पादन हेतु संपूर्ण अभिलेख श्री आशुतोष अभिमन्यु, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पटना सिटी के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है। कार्यालय संपूर्ण मूल अभिलेख को संबंधित न्यायालय में भेजे। वाद दिनांक-28.01.23 को उपस्थिति हेतु। आज्ञापित अ0मु0न्या0दण्डा0	